मुकाम

बनाम

नं. 15 सन् 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]-2016	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर अहलमद वादी/ प्रार्थना-पत्र एकतरफा सुनी गई। संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि मौजा व प०ह० निम्बाहेडा तहसील कपासन की आ०सं० 84, 85, 86, 87, 288, 289, 2007, 2008, 2009, कुल किता 9 कुल रकबा 1.81 हे. व आ०सं० 434 स्थित है उक्त आराजियात प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. एक से लगायत 5 के मौरूसी मिल्कीयत कब्जे काश्त की है। अप्रार्थी संख्या 2 मौरूसी आराजियात का खातेदार है इसलिये पक्षकार बनाया गया है। उक्त आराजियात के साबिक नम्बर आ०सं० 76, 77, 699, 556, 1275, 1276 कुल किता 6 कुल रकबा 11 बिघा है। उक्त मौरूसी मिल्कीयत की होकर सूरजमल पिता गणेश जाट के नाम दर्ज थी सूरजमल के तीन लड़के रामलाल, कजोड़, पन्नालाल थे प्रत्येक का उक्त आराजियात का 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा था वादी संख्या 1 पन्नालाल का लड़का है 2 लगायत 6 कजोड़ जी के वंशज है, वादी का 1/3, अप्रार्थी 1 लगायत 5 का 1/3 हिस्सा है अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 का 1/3 हिस्सा है उक्त में से प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्से की जमीन से 0.57 हे. जमीन मु. पुष्पा पत्नी मदन लाल जाट को बेची थी व पुनः से जमीन	

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन
चित्तौड़गढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राधा पुत्री रामू जाट नि. निम्बाहेड़ा को बेच दी इस प्रकार प्यारा के हिस्से में राधा का हिस्सा शुमार किया जाना चाहिये प्यारा ने अपने हिस्से में से आराजीयात को बेच दी इस प्रकार 1/6 हिस्से में प्यारा व राधा का आवेदन जो अप्रार्थी संख्या 1, 2 के 1/6 हिस्सा व 1/6 हिस्सा अप्रार्थी सं. 3, 4, 5 का बनता है उक्त आराजियात मौरूसी मिल्कीयत की थी जो विरासत का इन्तकाल खोलते समय रामलाल की विरासत अजोबे हेमराज व प्यारा के नाम खोल दी गई उक्त आराजियात सूरजमल के नाम थी थी जो सूरजमल के वारिसान के रामलाल, नाथू व चम्पालाल के नाम आती थी। वर्तमान में उक्त आराजियात अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 5 के नाम रेवेन्यू रिकार्ड में अंकन होने के कारण उक्त जमीन रहन बय, बखशीश करने पर आमादा है। हमने अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया उन की ओर से अधिवक्ता हाजिर आये। अप्रार्थीगण व इनके अधिवक्ता 21.11.17 को हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, की गई बहस पर मनन किया। अग्र उक्त वाद पत्र में जाहिर होकर कार्यवाही की जावेगी प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने से मूल वाद के निस्तारण तक मौका व प० ह० निम्बाहेड़ा की आ० खा० 84, 85, 86, 87 288, 289, 2007, 2008, 2009 कुल किता 9 कुल रकबा 1.81 हे., आ० खा० 434 रकबा 0.57 हे. में राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी संख्या 6 पंजीयन नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।

गोयल)